न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 47/2011

1. जवाहर सिंह पुत्र गिर्राज
2. चेतराम
3. सुभाष
4. प्रताप सिंह पिसरा पूरन सिंह जाति गुर्जर निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. परशुराम पुत्र बृजी जाति गुर्जर निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी
2. खैम सिंह पुत्र बृजी जाति गुर्जर निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी (मृत्तक)
3. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री शीशराम वर्मा वकील वादीगण
श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1

दिनांक :– 21/03/2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1479/0.71 हैक्टर बांके कस्बा पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है दावा बंटवारे का होने की गरज से श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी को बनाये जाने कुर्रे जात फौरमल प्रतिवादी फरीक मुकदमा बनाया गया है उनके खिलाफ अन्य किसी प्रकार की कोई दादरसी चाही गई है और ना ही वाद पैदा होता है इसलिए दावा वगैराह धारा 80 जा0दी0 नोटिस दिये ही पेश है। आराजी मुतदाविया पीछे वादीगण के बुजुर्गान की है जो हमारे बुजुर्गान दूलेराम व नन्दलाल को भी विरासत में मिली है तथा उनके वाद हम वारिसान के कब्जे काश्त में है। आराजी मुतदाविया की काश्त की सुविधा के लिये हमारे बुजुर्गान दूलेराम व नन्दलाल ने ही आज से करीब 150 साल पूर्व मनबट करके बांट लिया था जो इस प्रकार है आराजी के मध्य पूरव पश्चिम डौल डालकर उत्तरी हिस्सा वादीगण के बुजुर्गान के हिस्से में तथा दक्षिणी 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण बुर्जुगान के हिस्से में आया और तभी से वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष अपने–अपने हिस्सों पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और अब तक भी दोनो पक्ष निर्विवाद रूप से अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा वाद में हम वादीगण ने भी अपने हिस्से

Scanned with OKEN Scanner

के दो हिस्से कर लिये है जिनमें पश्चिमी हिस्सा वादी संख्या 2,3,4 तथा पूरवी हिस्सा वादी संख्या के हिस्से में आया है आराजी के निस्फ हिस्से पर वादी पक्ष मुताबिक मनबट करीब 150 सालो से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और उक्त हिस्से को काबिले काश्त बनाने में काफी खर्चा भी कर चुका है। इस प्रकार वादीगण आराजी के उत्तरी 1/2 हिस्सा पर अलग से अपने नाम खातेदारी कराकर खाता कायम करा पाने के अधिकारी रह चुके है और प्रतिवादी पक्ष इतने पुराने कब्जे को कानूनन डिस्टर्व व चैलेन्ज नहीं कर सकते। उत्तर में रास्ता होने व हमारी लागत के हिसाब से आराजी को हमारे हिस्से में अब प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ती आ गई है और वे नाजाइज तरीके से व गैरकानूनी रूप से वादीगण के मनबट व हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में दखलन्दाजी करना चाहते है इतने पुराने कब्जे को डिस्टर्व करना चाहते है और अब पुनः बंटवारा कराना चाहते है जो खिलाफ मौका व कानून है । वादीगण उत्तरी हिस्से 1/2 पर अपने नाम खातेदारी कराकर पृथक–पृथक खाता कायम करा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण नाजायज तरीके से कब्जे काश्त वादीगण में मदाखलत करना चाहते है जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक 10/05/2011 को दी है। कि हम जबरदस्ती आराजी को पूरव व पश्चिम बांटकर रहेगे चाहे कुछ भी हो जाये अगर प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। विधि वजह वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वे कब्जे काश्त वादीगण में उत्तरी हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे आराजी मुतदाविया में पूरव पश्चिमी कदमी डौल को ना तोडे और वगैर आदेश न्यायालय श्रीमान मौके में किसी प्रकार की तब्दीली ना करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में मय वकील उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि वादीगण बदमाश किस्म के लोग है जो प्रतिवादी के कब्जे काश्त वाली आराजी को हडपना चाहते है प्रतिवादी स्वयं बंटवारा कराना चाहता है लेकिन वादीगण न्यायालय में आकर मुकदमें को बढाना चाहते है एवं गलत तथ्यों के आधार पर बंटवारा कराना चाहते है। मैं प्रतिवादी स्वयं अपने कब्जे के आधार पर बंटवारा कराने को तैयार हूँ । प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु होने के कारण वादीगण ने दावे से तर्क किया । प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया पैत्रिक आराजी है ।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी मुतदाविया का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिताओं ने करीब 50 वर्ष पूर्व मनबट के आधार पर कर लिया था जिस पर दोनो फरीक अपने–अपने हिस्से पर काबिज है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतदाविया पर मनबट के हिसाब से उत्तरी हिस्सा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 4 :– आया आराजी मुतदाविया का बंटवारा जिस कदर वादीगण ने बताया है वह गलत तथ्यों के आधार पर दर्शाया गया है।

.....प्रतिवादीगण

5:– दादरसी :–

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 जवार सिंह , पी0डब्लू0 2 सुभाष , के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 लगायत 2063, नकल जमाबन्दी 2075 लगायत 2078, नकल नक्शा बाबत खसरा नम्बर 1801 ।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया पैत्रिक आराजी है ।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने विवादित आराजी को पैत्रिक सम्पत्ति साबित करने के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी मुतदाविया का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिताओं ने करीब 50 वर्ष पूर्व मनबट के आधार पर कर लिया था जिस पर दोनो फरीक अपने–अपने हिस्से पर काबिज है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद पत्र की मद नं0 5 में दर्ज किया है कि बुर्जुगान दुलेराम व नन्दलाल ने आज से करीब 150 साल पूर्व आराजी का मनबट कर बांट लिया था परन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिये वादीगण ने पत्रावली में पैत्रिक सम्पत्ति

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड पेश नहीं किया है और ना ही दूलेराम व नंदलाल की खातदोरी की कोई नकल पेश की है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतदाविया पर मनबट के हिसाब से उत्तरी हिस्सा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादी संख्या 1 ने 150 वर्ष पूर्व जमीन दो भागो में बांटी थी राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने पेश किया है प्रतिवादी संख्या 2 खैमचन्द की राजीनामा में सहमति नहीं है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के राजीनामा पर विश्वास करते हुये उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया आराजी मुतदाविया का बंटवारा जिस कदर वादीगण ने बताया है वह गलत तथ्यों के आधार पर दर्शाया गया है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी संख्या 1,2,3 विरूद्ध वादीगण तय हो चुकी है । ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

5:– दादरसी :– तनकी संख्या 1 ,2,3,4, प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी सिद्ध ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

वादीगण ने मृत्तक प्रतिवादी संख्या 2 खैमसिंह को दावे से तर्क कर दिया है परन्तु दावे में यह नहीं बताया है कि मृत्तक खैमसिंह का आराजी में हिस्सा होने कारण मृत्तक खैमसिंह प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा किसको जायेगा । उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 47/2011

1. जवाहर सिंह पुत्र गिर्राज
2. चेतराम
3. सुभाष
4. प्रताप सिंह पिसरा पूरन सिंह जाति गुर्जर निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. परशुराम पुत्र बृजी जाति गुर्जर निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी
2. खैम सिंह पुत्र बृजी जाति गुर्जर निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी (मृत्तक)
3. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/03 सन् 2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner